प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2021*

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र श्री तहसीलदार सिंह निवासी जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2021) दिनांक-12.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र श्री तहसीलदार सिंह, ग्राम-सेमरा, थाना-चिल्ह, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। बन्दी ने व्यवसायिक विवाद में दिनांक 04.04.1999 को 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहे, तमन्चें से गोली मारकर सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ला एवं देवीशंकर दूबे तथा शेषमणी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0-1), भदोहीं ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2021 तक 19 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 01 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी के भविष्य में जेल से छूटने पर अपराध करने से इन्कार कदापि नहीं किये जाने, बन्दी के जेल से छूटने के बाद पुनः अपराध करने में अशक्त होने के बाबत इन्कार किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की पारिवारिक व सामाजिक पृष्ठभूमि आपराधिक छवि होने तथा आर्थिक दशा ठीक होने, बन्दी की रिहाई से आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने व्यवसायिक विवाद में दिनांक 04.04.1999 को 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहे, तमन्चें से गोली मारकर सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ला एवं देवीशंकर दूबे तथा शेषमणी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विषेश तक सीमित न होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिश्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र तहसीलदार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: रिट याचिका (क्रि0) संख्या-229/2021 उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर (बन्दी संख्या-2021/17) पुत्र श्री तहसीलदार सिंह निवासी जनपद-मीरजापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-135/2021/1361(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- श्री आशीष सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासी ग्राम-सेमरा, पो0-खुलवॉ, थाना-चिल्ह, जनपद-मीरजापुर को उनके पत्र दिनांक 07.06.2021 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-135/2021/1361/22-2-2021-17(185)/2012

दिनांक 05 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र श्री तहसीलदार सिंह, ग्राम-सेमरा, थाना-चिल्ह, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। बन्दी ने व्यवसायिक विवाद में दिनांक 04.04.1999 को 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहे, तमन्चें से गोली मारकर सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ला एवं देवीशंकर दूबे तथा शेषमणी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0-1), भदोहीं ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2021 तक 19 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 01 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी के भविष्य में जेल से छूटने पर अपराध करने से इन्कार कदापि नहीं किये जाने, बन्दी के जेल से छूटने के बाद पुनः अपराध करने में अशक्त होने के बाबत इन्कार किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की पारिवारिक व सामाजिक पृष्ठभूमि आपराधिक छवि की होने तथा आर्थिक दशा ठीक होने, बन्दी की रिहाई से आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने व्यवसायिक विवाद में दिनांक 04.04.1999 को 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहे, तमन्चें से गोली मारकर सूर्य नारायण उर्फ वकील शुक्ला एवं देवीशंकर दूबे तथा शेषमणी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विषेश तक सीमित न होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिश्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र तहसीलदार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।